भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4497

दिनांक 19.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

आनंदपुर साहिब में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

4497. श्री मलविंदर सिंह कंगः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2023-2025 के दौरान आनंदपुर साहिब में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए शुरु की गई डिजिटलीकरण योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी निधियां स्वीकृत एवं जारी की गई हैं;

(ख) आनंदपुर साहिब में विपणन, इन्वेंट्री और भुगतान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने वाली एमएसएमई इकाइयों की सेक्टर-वार संख्या कितनी है;

(ग) डिजिटल परिवर्तन में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इसमें शामिल प्रतिभागियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) आनंदपुर साहिब लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में डिजिटल योजनाएं अपनाने से उत्पादकता, कारोबार और रोजगार सृजन पर पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आनंदपुर साहिब में छोटे उद्यमों के लिए डिजिटल उपकरणों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने हेतु भारत सरकार डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटल प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के उपयोग को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कई कदम उठाती रही है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उपयोगिता के रूप में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शासन और मांग पर सेवाएं, नागरिकों और एमएसएमई के डिजिटल सशक्तीकरण पर सेवाएं प्रदान करता है। एमएसएमई द्वारा विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल भुगतान भी किया जाता है। देश भर में एमएसएमई के डिजिटीकरण के लिए उपर्युक्त प्रौद्योगिकियों से जुड़ाव में सुधार और वृद्धि हेतु, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय विभिन्न स्कीम और पहलों का संचालन करता है, जिसमें अन्य के साथ-साथ उद्यम पोर्टल, एमएसएमई चैंपियंस पोर्टल, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, एमएसएमई मार्ट, एमएसएमई संबंध और ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल शामिल हैं, जो डिजिटल पंजीकरण, ऑनलाइन खरीद, ई-बाजार पहुंच, प्राप्य वित्तपोषण और शिकायत निवारण को सक्षम करते हैं।

इन स्कीमों को संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और कार्यान्वयन एजेंसियों को धन जारी किया जाता है। चूंकि ये सभी स्कीमें केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं, इसलिए राज्यों को सीधे कोई धन जारी नहीं किया जाता है। इन सभी कार्यक्रमों में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का अलग प्रावधान है जो पंजाब राज्य के आनंदपुर साहिब शहर सहित पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। उद्यम पंजीकरण एमएसएमई को मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और उद्यम पंजीकरण विवरण (अखिल भारत, पंजाब और आनंदपुर साहिब सहित रूपनगर जिला) निम्नानुसार हैं:

01 / 07 / 2020 से 15 / 03 / 2026 तक उद्यम औऱ यूएपी के अंतर्गत एमएसएमई विवरण							
राज्य / जिला	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**	**कुल**	**विनिर्माण**	**सेवा**	**ट्रेडिंग**
अखिल भारत	7872140	491078	37045	79250063	16542125	28840800	33867138
पंजाब	2141880	16996	1236	2160112	462202	795478	902432
रूपनगर	45859	177	10	46046	7231	19203	19612

(घ) और (ङ): सरकार समय-समय पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में डिजिटल अंगीकरण की सीमा का आकलन करती है, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल अकाउंटिंग, आपूर्ति श्रृंखला डिजिटीकरण और उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से मूल्यांकन अध्ययन के माध्यम से सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) जैसे प्लेटफार्मों में भागीदारी जैसे पहलू शामिल हैं। नीति आयोग का आउटपुट-परिणाम निगरानी ढांचा ऐसी स्कीम के परिणाम का मूल्यांकन करने के लिए एक अन्य संस्थागत तंत्र है। डिजिटल पहल मंत्रालय में कई स्कीम और कार्यक्रमों को लागू करने और एमएसएमई के लिए बिक्री, उत्पादन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

****